

न्यायालय तहसीलदार रतनगढ

सरकार v/s मोगीनाथ पुत्र गुलनाथ सिंह कलरपुर
मु.न. 18 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट1956
निर्णय दिनांक 11/10/17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी उपस्थित । प्रश्नगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का कीमोडेर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम कलरपुर के ख.न. 167 तादादी 400 बीघा किस्म जमीन .. श्री. पु. रासू भूमि में से 0.11 भूमि पर अप्रार्थी मोगीनाथ पुत्र गुलनाथ जाति सिंह निवासी कलरपुर ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कलरपुर अतिक्रमण कर लिया है ।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण एल.आर.एक्ट1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपने नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया । जबाब संतोषप्रद नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट उचित प्रतीत होती है ।

अतः अप्रार्थी मोगीनाथ पुत्र गुलनाथ जाति सिंह निवासी कलरपुर को ग्राम कलरपुर के खसरा नम्बर 167 तादादी 0.11 बीघा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । ग्राम कलरपुर के शहर पड़ता लगान 2500 का 50 गुणा 6000 रुपये दण्ड स्वरूप कायम किया जाता है । टी.आर.ए. के रजिस्टर में अंकित किया जाकर भू.अ. निरीक्षक गोपाल व पटवारी हल्का कीमोडेर को बेदखली व तावान वसूली हेतु आदेश दिया जाता है, पत्रावली निर्णयशुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।